न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान .... रणजीत .... बनाम .... भूपेन्द्र सिंह ....

किस्म मुकदमा .... न्याय - 221 .... अपील संख्या .... 2023/196 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... श्री रविन्द्र सिंह [illegible] .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.3.25	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को रुक–रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट पूर्व में भी दिनांक 11.03.2025 एवं 11.03.2025 को अनुपस्थित रहे है। अभिभाषक अपीलांट को बहस हेतु इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर भी दिये जा चुके है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय भू–प्रबन्ध एवम पदेन राजस्व अधिकारी, कोटा राज0

अपील क्रमांक– /2022

रणजीत सिंह उम्र–62 वर्ष आत्मज तारासिंह जाति जाट

निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा राजस्थान

–अपीलाण्ट

–बनाम–

1–हरनरेन्द्र सिंह पुत्र मिल्खासिंह

2–अनमोल सिंह पुत्र अरविन्द सिंह

3–जगमोहन सिंह पुत्र अरविन्द सिंह

4–तिलविन्दर कौर बैवा अरविन्द सिंह

5–इकबाल सिंह पुत्र औंकार सिंह

6–प्रतपाल सिंह पुत्र औंकार सिंह

7–विजेन्द्र सिंह पुत्र औंकार सिंह

जातिगण जाट सिक्ख निवासीगण लालगंज खेडली तहसील किशनगंज

जिला बांरा राज0

8–सरनजीत कोर पुत्री औंकार सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी खेडली तहसील किशनगंज हाल निवासी अल्फानगर कोटा जिला कोटा

9–मनजीत कौर पुत्र औंकार सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

हाल निवासी मियाखेडी पोस्ट ढाकोनी तहसील ईसागढ जिला अशोक नगर

मध्य प्रदेश

क्रमशः––––2

10–निर्मल कौर पुत्री औंकार सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

हाल निवासी महावीरपुरा ओवरब्रिज के पास गुना जिला गुना मध्य प्रदेश

11–कमलजीतकौर पुत्री औंकारसिंह जाति सिक्ख जाअ

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

हाल निवासी केशोरायपाटन जिला बून्दी राज0

12–वीरकौर बैवा औंकार सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

13–बलकार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति सिकख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

14–जगतार सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

15–अमरजीत कौर पुत्री इन्द्रसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

हाल निवासी चारोदा तहसील अशोक नगर जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश

16–स्वर्ण जीत कौर पुत्री इन्द्र सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

17–रतन जीत कौर पुत्री इन्द्र सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

18–रजवंत कौर पुत्री इन्द्र सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

क्रमशः––––3

19–हरबंस सिंह पुत्र हरिसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

20–सुरेन्द्र सिंह पुत्र हरिसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

21–प्रकाश कौर पुत्री हरिसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

22–कश्मीर कौर पुत्री हरिसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

हाल निवास पपरिया पहाड तहसील ईशागढ जिला अशोक नगर मध्य प्रदेश

23–जसविन्दर कौर पुत्री हरिसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

निवासी बरूनी तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

24–कलविन्दर कौर पुत्री हरिसिंह जाति सिक्ख जाट

निवासी लालगंज खेडली तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

25–कर्मवीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति सिक्ख जाट

26–तरसेम सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति सिक्ख जाट

27–धर्मवीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति सिक्ख जाट

28–करतार कौर बैवा जसवन्त सिंह जाति सिक्ख जाट

29–अकविन्दर कौर पुत्री जसवन्त सिंह जाति सिक्ख जाट

30–अमनदीप कौर पुत्री जसवन्त सिंह जाति सिक्ख जाट

निवासीगण बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0

31–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा राज0

–रेस्पोडेन्टस

क्रमशः–––4

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकार अधिनियम

बनाराजगी आदेश दिनांक–26–5–2022, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बांरा, बउनवान रणजीत सिंह बनाम हरनरेन्द्र सिंह व अन्य, प्रकरण संख्या–2016/00099 अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवर,

अपीलाण्ट निम्ननिवेदन करता है–

1– यह कि आदेश जैर अपील न्याय, विधि एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि अधी0 न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भली भांति स्पष्ट व प्रमाणित था कि ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बांरा में स्थित कुल 782 बीघा 14 बिस्वा भूमि में अपीलाण्टस व रेस्पो0 क्रम–25 लगायत–30 के पिता जसवन्त सिंह का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पो0 नम्बर–1 लगायत–4 के पूर्वज मिल्खा सिंह का 1/4 एवम रेस्पो0 नम्बर–5 लगायत–18 के पूर्वज इन्द्रसिंह का 1/4 व रेस्पो0 नम्बर–19 लगायत–24 के पूर्वज हरिसिंह का 1/4 हक हिस्सा निहित रहा है। उक्त 782 बीघा 14 बिस्वा भूमि में अपीलाण्ट व जसवन्त सिंह जी के हिस्से 195 बीघा 13 बिस्वा, मिल्खा सिंह के हिस्से में 195 बीघा 13 बिस्वा, व हरिसिंह के हिस्से में 195 बीघा 13 बिस्वा भूमि बनती है। न्यायालय सहायक समाहर्ता बांरा द्वारा रेस्पो0 नम्बर–1 लगायत–4 के पूर्वज मिल्खा सिंह की 130 बीघा 9 बिस्वा भूमि सिलिंग अधिग्रहण योग्य मानते हुऐ सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया था, किन्तु रेस्पो0 नम्बर–1 लगायत–24 ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत करते हुऐ इन्तकाल संख्या–95 दिनांक–27–9–1976 से सभी सहखातेदारान की भूमि खसरा नम्बर–349 की रकबा 130 बीघा 9 बिस्वा सिवाय चक दर्ज करवा ली, जबकि कानूनन न्यायालय सहायक समाहर्ता बांरा के अनुसार 130 बीघा 9 बिस्वा भूमि मिल्खा सिंह जी के ~~हिस्से~~ में कम होनी चाहिए थी और

क्रमशः–––5